इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011—फाल्गुन 6, शक 1932

विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 4449-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी, 2011 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०११

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ में, खण्ड (ख) में, मद (एक), (दो) तथा (तीन) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(एक)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये तक हो.	न्यूनतम दो सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए अनादृत चैक की रकम का पांच प्रतिशत.
(दो)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख तक हो.	न्यूनतम पांच हजार रुपये और ऐसी रकम पर जो एक लाख रुपये से अधिक हो, चार प्रतिशत.
(तीन)	जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम पांच लाख रुपये से अधिक हो.	न्यूनतम इक्कीस हजार रुपये और ऐसी रकम पर, जो पांच लाख रुपये से अधिक हो, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए तीन प्रतिशत.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक १०२२ सन् १९८९, आल इण्डिया जजेस एसोसिएशन और अन्य विरुद्ध भारत संघ तथा अन्य में, एक अंतरिम आदेश दिनांक १२ जुलाई, २०१० में यह निदेश दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अधोसंरचना विकास के लिये राजस्व उत्पन्न करने की दृष्टि से, परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ (१८८१ का २६) की धारा १३८ के अधीन अनादृत चैकों के लिए विचारणीय अपराध के लिये दायर किए जाने वाले परिवाद पर उद्ग्रहणीय न्यायालय फीस में बढ़ोत्तरी की जाए. इस आदेश के अनुपालन में, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० की अनुसूची दो में यथोचित् संशोधन द्वारा ऐसी न्यायालय फीस को युक्तियुक्त करने का विनिश्चिय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १० फरवरी, २०११.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.